



Phone – 0141-2703861 Ext. 2207  
Website – www.uniraj.ac.in

**UNIVERSITY OF RAJASTHAN**  
**JAIPUR**

No. A&F-III/Med./2023/ 2023


Dated:- 31/5/2023

**विज्ञप्ति**

कार्यालय आदेश क्रमांक No. A&F-III/Med./2023/ 1912 दिनांक 03/05/2023 के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये जयपुर में स्थित सभी चिकित्सकों/विशेषज्ञों/दन्त चिकित्सकों/होम्योपैथ/आयुर्वेदिक चिकित्सकों/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सकों/नर्सिंग होम/अस्पताल/ लैब आदि से सम्बद्धता हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 30/05/2023 से बढ़ाकर 05/06/2023 की जाती है। निर्धारित आवेदन-पत्र लेखा एवं वित्त अनुभाग-तृतीय से "कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर" के नाम देय राशि रु. 2000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साइट [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in) पर उपलब्ध है।

Rj / Jan  
उप कुलसचिव 31/05/23  
(लेखा एवं वित्त)



**UNIVERSITY OF RAJASTHAN**  
**JAIPUR**

क्रमांक :- ले.वि. III / मेडिकल / 2023-24 2024

दिनांक 31/5/2023

**विज्ञापित**

कार्यालय आदेश क्रमांक No. A&F-III/Med./2023/ 1912 दिनांक 03/05/2023 के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये जयपुर में स्थित सभी चिकित्सकों/विशेषज्ञों/दन्त चिकित्सकों/ होम्योपैथ/ आयुर्वेदिक चिकित्सकों /यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सकों/नर्सिंग होम/ अस्पताल/लैब आदि से निर्धारित आवेदन-पत्र पर सम्बद्धता हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 30/05/2023 से बढ़ाकर 05/06/2023 की जाती है। निर्धारित आवेदन-पत्र लेखा एवं वित्त अनुभाग-तृतीय से रु. 2000/- के "कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर" के नाम देय डिमान्ड ड्राफ्ट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सा संस्थानों को निम्नानुसार सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा :-

नियम एवम् शर्त :-

A. 100 से अधिक शय्याओं तक के अस्पताल (Multi-Speciality)	रु. 25,000/- प्रति वर्ष
B. 100 शय्याओं तक के अस्पताल (Multi-Speciality)	रु. 15,000/- प्रति वर्ष
C. 50 शय्याओं तक के अस्पताल (Multi-Speciality)	रु. 10,000/- प्रति वर्ष
D. एकल विशेषज्ञ अस्पताल/दन्त चिकित्सक	रु. 10,000/- प्रति वर्ष
E. प्रयोगशाला (Laboratories)	रु. 10,000/- प्रति वर्ष
F. मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल	रु. 5,000/- प्रति वर्ष
G. अधिकृत चिकित्सक एलोपैथिक,होम्योपैथ/आयुर्वेद, युनानी/प्राकृतिक	रु. 2,000/- प्रति वर्ष

- वर्ग A से D तक के अस्पतालों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा परिचय-पत्र दिखाने पर कुल बिल पर 5 प्रतिशत छूट प्रदान करनी होगी।
- वर्ग-E प्रयोगशाला लेब जॉच के कुल बिल का 10 प्रतिशत छूट प्रदान करेंगे।
- तीन वर्षों का पंजीकरण शुल्क एक साथ जमा कराने पर आवेदक को उपरोक्त शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

Rg | Taus  
उप कुलसचिव 31/5/23  
(लेखा एवं वित्त)